"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक ७ दिसम्बर २०१८ — अग्रहायण १६, शक १९४०

जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

(1) अनुसूची-दो में, शीर्षक "(एक) कर्तव्य पद (सिविल शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा का	कर्तव्य	भरे जा	ने वाले पदों की संख्या का	प्रतिशत	टिप्पणियां
	नाम	पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी)	404	27% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पर्दों की उपलब्धता के आधार पर	73% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पर्दों की उपलब्धता के आधार पर		कालम-5 में दर्शित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे:- (1) उपअभियंता संवर्ग-70%

3.	प्रतिस्थापित किया जा सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी)	ये, अर्थात् :- 53 27 के उप आ विक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	१% प्रत्येक वर्ष रिक्त पर्वो की ग्लब्धता के धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	73% प्रत्येक के रिक्त पर्वो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाया पद	वर्ष की के	(2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% तत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नानुसा कालम-5 में वर्शित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे:- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% ते संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर
3. (3) स. क्र.	प्रतिस्थापित किया जा सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष् निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	ये, अर्थात् :- 53 27 के उप आ विक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	१% प्रत्येक वर्ष रिक्त पर्वो की ग्लब्धता के धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	73% प्रत्येक के रिक्त पर्वो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाया पद	वर्ष की के सरल क्रमांक 6 तथा उसर	मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% तत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नानुस कालम-5 में वर्शित 73% पव प्रत्येक वर्ष के रिक्त पवों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03%
3. (3) स. क्र.	प्रतिस्थापित किया जा सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष् निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	ये, अर्थात् :- 53 27 के उप आ विक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	१% प्रत्येक वर्ष रिक्त पर्वो की ग्लब्धता के धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	73% प्रत्येक के रिक्त पर्वो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाया पद	वर्ष की के सरल क्रमांक 6 तथा उसर	संवर्ग-03% तत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नानुस कालम-5 में दर्शित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
3. (3) स. क्र.	प्रतिस्थापित किया जा सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष् निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	ये, अर्थात् :- 53 27 के उप आ विक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	१% प्रत्येक वर्ष रिक्त पर्वो की ग्लब्धता के धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	73% प्रत्येक के रिक्त पर्वो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाया पद	वर्ष की के सरल क्रमांक 6 तथा उसर	कालम-5 में वर्शित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे:- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03%
3. (3) स. क्र.	प्रतिस्थापित किया जा सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष् निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	ये, अर्थात् :- 53 27 के उप आ विक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	१% प्रत्येक वर्ष रिक्त पर्वो की ग्लब्धता के धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	73% प्रत्येक के रिक्त पर्वो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाया पद	वर्ष की के सरल क्रमांक 6 तथा उसर	कालम-5 में वर्शित 73% पव प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे:- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03%
(3) स. क्र.	अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	के उप आ पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	रिक्त पदों की ग्रलब्धता के धार पर धार पर अर्थात्:- ातर सेव नति का	के रिक्त पर्दो उपलब्धता आधार पर आधार पर गाया पद गाम जिस	की के . सरल क्रमांक 6 तथा उसर	प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे:- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर
(3) स.क्र.	अभियंता (द्वितीय श्रेणी) अनुसूची-चार में, श्रीष निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	उप आ के "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रस्थता के धार पर पद (सिविल श प्रथीत्:- तर सेव नति का	उपलब्धता आधार पर ाखा)" के अंतर्गत, गया पद गम जिस	के सरल क्रमांक 6 तथा उसर	उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	अनुसूची-चार में, श्रीष निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	्र क "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	धार पर पद (सिविल श अर्थात्:- ातर सेव नति का	आधार पर ाखा)" के अंतर्गत, गया पद गम जिस	सरल क्रमांक 6 तथा उसर	निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	िक "(एक) कर्तव्य पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	य पद (सिविल श प्रथीत्:- ातर सेव नति का	ाखा)" के अंतर्गत, गाया पद गाम जिस	and the second second	(1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	(1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	(2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% पे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	संवर्ग-03% से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	प्ते संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
स.क्र.	निम्नलिखित प्रतिस्था सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की	पेत किया जाये, अ अगले उच्च पद पर पदोन के लिए अर्ह	प्रथीत्:- ।तर सेव नति का	ा या पद नाम जिस	and the second second	
	नाम जिससे पदोन्नति की	पद पर पदोन के लिए अर्ह	नति का	नाम जिस	विभागीय पदीन्ति समि	ति टिप्पाणया
(1)	पदोन्नति की	के लिए अई				
(1)						
(1)	जाना ह	बेच आरोजि		पदोन्नति जानी है		
(1)		हेतु अपेक्षि न्यूनतम अव		जागा ह		
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	उप अभियंता				1. अध्यक्ष, लोक सेवा अ	
0.	उप आमयता (सिविल)	10 वर्ष		ाहायक भियंता	या उसके द्वारा नामांकित	
	(।सावल)			सेविल)	सदस्य-अध्यक्ष	
			r - V Veriginalise et e	તાવલ)	सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्र	Brest
					सचिव/सचिव, छ. ग. श	
		1, 1903 (14)			जल संसाधन विभाग-स	화원화장 생기가 되었다.
					3. विभाग प्रमुख-सदस्य	
					4. उप सचिव/संयुक्त स	चिव
					छ. ग. शासन, जल संसाध	
					विभाग-सदस्य/सचिव	
	अनुसूची-चार में, श्रीष जाये.	र्वक "(एक) कर्तव	य पद (सिविल श	ाखा)" के अंतर्गत,	सरल क्रमांक 7 तथा उससे सं	बंधित प्रविष्टियों को विलोपित किय
(5)				खा)" के अंतर्गत	, सरल क्रमांक 3 तथा उस	से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान प
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
3.		10 वर्ष		रहायक	1. अध्यक्ष, लोक सेवा अ	

(वि./या.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख	
				सचिव/सचिव, छ. ग. शासन,	
				जल संसाधन विभाग-सदस्य	
				3. विभाग प्रमुख-सदस्य	
				4. उप सचिव/संयुक्त सचिव,	
				छ. ग. शासन, जल संसाधन	
				विभाग-सदस्य/सचिव	

(6) अनुसूची-चार में, शीर्षक "(दो) कर्तव्य पद (वि./यां. शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, याकुब खेस्स, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th December 2018

NOTIFICATION

No. F 01-29/31/Estb/2007. — In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh, Water Resource Engineering and Geological (Gazetted) Recruitment Rules, 2014, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-II, under Heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", For serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of	Number	Percentage of n	Remarks		
	Service	of Duty Post	By Direct Recruitment [See Rule 6 (1)(a)]	By Promotion Recruitment [See Rule 6 (1)(b)]	By Transfer of Person from other services [See Rule 6 (1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(I) Duty 6.	Assistant Engineer (Class-II)	Branch) 404	27% on the basis of availability of vacant post	73% on the basis of availability of vacant post		73% post shall be filled as below on the basis of availability of vacant post every year, which has
			every year	every year		shown in column No. 5:- (1) Sub-Engineer Cadre- 70% (2) Drafts man/Head Drafts man cadre- 03%

2.		, under Heading "(shall be substitute		IVI Branch), For Seri	arnumber 3 and	l entries relating thereto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(II) Dut	y Post (E/M Bra	ınch)				
3.	Assistant Engineer (Class-II)	53 279 b avai vac	% on the asis of lability of ant post ery year	73% on the basis of availability of vacant post every year	a a e s (3% post shall be filled s below on the basis of vailability of vacant postvery year, which has hown in column No. 5: 1) Sub-Engineer Cadre-70% 2) Drafts man/Head Drafts man cadre-03%
3.		V, under Heading "shall be substitute		vil Branch)", For ser	ial number 6 and	d entries relating thereto
	(2) Schedule-	IV (See Rule 14)				
S. No.	Name of Service or Post from which Promotion to be made	Minimum Period require to qualifying for promotion to the next Higher Post	Name of Service or Post to which Promotion is to be made	Departmental Pro		tee Remaks (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		5)	(W)
(I) Duty	y Posť (Civil Bra	nch)				
6.	Sub Engineer (Civil)	10 years	Assistant Engineer (Civil)	Principal Se Government of Member 3. Head of Dep 4. Deputy Secretary, Gov	Chief Secretary ceretary/Secretary f Chhattisgarh cartment-Memb Secretary/Joi	er an ry/ ury er nt of
4.	In Schedule-I shall be omitt		"(I) Duty Post (C	ivil Branch)", the ser	ial number 7 an	d entries relating thereto
5.		V, Under Heading shall be substitute		E/M Branch)", for ser	ial number 3 an	d entries relating thereto
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
3.	Sub Engineer (E/M)	10 years	Assistant Engineer (E/M)	2. Additional	Public Servi or memby him - Chairm Chief Secreta	oer an ry/

(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Government of Chhattisgarh -				
	Member				
	3. Head of Department-Member				
	4. Deputy Secretary/Joint				
	Secretary, Government of				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

6. In Schedule-IV, under Heading "(I) Duty Post (E/M Branch)", the serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, YACUB XESS, Joint Secretary.